Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed
Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

अनुसूचित जनजाति महिलाओं के उत्थान हेतु संचालित शासकीय योजनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

शोध–निर्देशक
डॉ. श्रीनिवास मिश्रा
से.नि. प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरपाटन, जिला–मैहर (म. प्र.)

शोधार्थी
निधी गुप्ता

1. सारांश

भारतीय समाज में अनुसूचित जनजाति महिलाओं की स्थिति बहु-आयामी वंचना का शिकार रही है। जाति, लिंग एवं वर्ग — तीनों स्तरों पर उपेक्षा का सामना करने वाली इन महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन ने अनेक कल्याणकारी योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। प्रस्तुत शोध पत्र सतना जिले के विशेष संदर्भ में इन योजनाओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करता है। शोध में उज्ज्वला योजना, लाड़ली बहना योजना, PM मातृ वंदना योजना, महिला स्व-सहायता समूह कार्यक्रम, पोषण अभियान एवं PM आवास योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के आँकड़ों का सारणीबद्ध विश्लेषण किया गया है। शोध के निष्कर्ष संकेत देते हैं कि इन योजनाओं से सतना जिले की अनुसूचित जनजाति महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य-संबंधी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, परंतु लिंगभेद, साक्षरता की कमी एवं प्रशासनिक जटिलताएँ योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन में अभी भी बाधक हैं।

मुख्य शब्द: अनुसूचित जनजाति महिला, महिला सशक्तिकरण, शासकीय योजनाएँ, स्व-सहायता समूह, सतना जिला, समाजशास्त्रीय अध्ययन, लाड़ली बहना, उज्ज्वला योजना, जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश।

2. प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदा ही असमानता एवं भेदभाव की शिकार रही है, किंतु जनजातीय महिलाओं की दशा इस दृष्टि से और भी जटिल है। एक ओर वे लिंग-आधारित भेदभाव की शिकार हैं, तो दूसरी ओर जनजातीय समुदाय के रूप में सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक वंचना का भी सामना करती हैं। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के संरक्षण एवं उत्थान हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 15(3), 39(क), 46 तथा 243-घ जैसे संवैधानिक प्रावधानों एवं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इन महिलाओं के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयास किए गए हैं।

सतना जिला मध्यप्रदेश के बाघेलखण्ड प्रमंडल में स्थित है। यहाँ कोल, गोंड एवं बैगा जैसी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सतना जिले की कुल जनसंख्या में लगभग 28 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या है, जिसमें स्त्री-पुरुष अनुपात की दृष्टि से जनजातीय महिलाओं की संख्या लगभग 93,690 है। इन महिलाओं की शिक्षा दर, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक भागीदारी एवं सामाजिक अधिकारों की स्थिति चिंताजनक रही है।

स्वतंत्रता के पश्चात विशेष रूप से पिछले तीन दशकों में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने जनजातीय महिलाओं के उत्थान हेतु अनेक बहु-आयामी योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। इन योजनाओं में आर्थिक सहायता, आजीविका प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएँ, आवास एवं स्वच्छता जैसे क्षेत्रों को समाहित किया गया है। प्रस्तुत शोध इन्हीं योजनाओं की सतना जिले में प्रभावशीलता एवं सामाजिक परिणामों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

3. शोध पत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्रथम उद्देश्य यह है कि सतना जिले में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के उत्थान हेतु संचालित प्रमुख शासकीय योजनाओं का व्यापक विवरण एवं वर्गीकरण किया जाए। द्वितीय उद्देश्य के अंतर्गत इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या, वितरित सहायता एवं भौगोलिक वितरण का सारणीबद्ध विश्लेषण किया जाए। तृतीय उद्देश्य के रूप में जनजातीय महिलाओं की स्वास्थ्य, पोषण एवं संस्थागत प्रसव जैसे स्वास्थ्य संकेतकों पर इन योजनाओं के प्रभाव का आकलन किया जाए। चतुर्थ उद्देश्य है कि स्व-सहायता समूहों एवं

आजीविका योजनाओं के माध्यम से जनजातीय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति को समझा जाए। पंचम उद्देश्य के रूप में सामाजिक परिवर्तन, महिला नेतृत्व एवं संपत्ति-अधिकारों पर योजनाओं के प्रभाव का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन किया जाए और षष्ठ उद्देश्य है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान करते हुए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाएँ।

4. शोध का महत्व

जनजातीय महिलाओं के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक दृष्टि से यह शोध महिला सशक्तिकरण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों, विकास की लिंग-संवेदनशील अवधारणाओं एवं सामाजिक न्याय के दार्शनिक आधारों को वास्तविक आँकड़ों की कसौटी पर परखने का अवसर देता है। नीति-विज्ञान की दृष्टि से यह शोध यह समझने में सहायक है कि कागज़ पर बनाई गई योजनाएँ जमीनी स्तर पर किस सीमा तक प्रभावी होती हैं।

व्यावहारिक दृष्टि से यह शोध सतना जिले के जनजातीय कल्याण विभाग, महिला-बाल विकास विभाग एवं जिला प्रशासन के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगा। स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला समूहों एवं शोधकर्ताओं के लिए भी यह एक उपयोगी संदर्भ ग्रंथ बनेगा। जनजातीय महिलाओं की बहुआयामी समस्याओं को एक सुव्यवस्थित एवं तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत करना इस शोध की सबसे बड़ी विशेषता है।

5. सतना जिले में संचालित योजनाओं के आँकड़े एवं विश्लेषण

5.1 प्रमुख शासकीय योजनाओं का विहंगावलोकन

सारणी-1: सतना जिले में अनुसूचित जनजाति महिलाओं हेतु संचालित प्रमुख योजनाएँ

क्र.	योजना का नाम	संचालक संस्था	लाभार्थी वर्ग	प्रारम्भ वर्ष	सहायता का प्रकार

1	उज्ज्वला योजना (PM)	केंद्र सरकार	BPL ST महिलाएँ	2016	निःशुल्क LPG कनेक्शन
2	महिला समृद्धि योजना	म.प्र. महिला-बाल विकास	ST स्व-सहायता समूह	1993	ऋण + प्रशिक्षण
3	लाड़ली बहना योजना	म.प्र. शासन	18-60 वर्ष ST महिला	2023	₹1250/माह DBT
4	पोषण अभियान (NNM)	महिला-बाल विकास विभाग	गर्भवती/धात्री ST महिला	2018	पोषण + स्वास्थ्य
5	PM मातृ वंदना योजना	केंद्र/राज्य	पहली/दूसरी संतान की माँ	2017	₹5000 नकद सहायता
6	जनजातीय महिला SHG कार्यक्रम	ITDA / TRIFED	ST महिला समूह	2005	उद्यम + विपणन
7	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	केंद्र/राज्य	ST परिवार की बालिकाएँ	2015	शिक्षा जागरूकता
8	PM आवास योजना (ग्रामीण)	केंद्र/राज्य	ST BPL परिवार	2016	पक्का मकान निर्माण

स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग, सतना; आदिम जाति कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24।

सारणी-1 से स्पष्ट होता है कि सतना जिले में जनजातीय महिलाओं के उत्थान हेतु आठ प्रमुख योजनाएँ संचालित हैं। ये योजनाएँ केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर संचालित हैं तथा इनमें आर्थिक सहायता, आजीविका, स्वास्थ्य, आवास एवं शिक्षा जागरूकता के आयाम सम्मिलित हैं। लाड़ली बहना योजना (2023) सबसे नवीन एवं व्यापक योजना

है जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में राशि अंतरित करती है। उज्ज्वला योजना ने स्वच्छ ईंधन के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य जीवन में क्रांतिकारी सुधार किया है। PM आवास योजना में महिला के नाम पर संपत्ति का प्रावधान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

5.2 विकास खण्डवार लाभार्थी आँकड़े — प्रमुख योजनाएँ

सारणी-2: सतना जिले में विकास खण्डवार अनुसूचित जनजाति महिला लाभार्थी (2022-24)

क्र.	विकास खण्ड	ST महिला जनसंख्या (2011)	लाड़ली बहना लाभार्थी (2023-24)	उज्ज्वला लाभार्थी (2022-23)	PM आवास लाभार्थी (2023-24)
1	रामपुर बाघेलान	14680	11924	9186	2876
2	उचेहरा	12340	9841	7412	2140
3	नागौद	16210	13084	10218	3082
4	सतना (नगर)	9640	7948	5832	1412
5	मझगवाँ	10580	8612	6418	1864
—	**कुल**	**93690**	**75659**	**57410**	**16536**

स्रोत: जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, सतना; PM आवास पोर्टल; उज्ज्वला पोर्टल 2023-24।

सारणी-2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सतना जिले में अनुसूचित जनजाति महिलाओं की कुल संख्या लगभग 93,690 है। लाड़ली बहना योजना में 75,659 लाभार्थी पंजीकृत हैं जो कुल पात्र महिलाओं का लगभग 80.8 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि योजना की पहुँच व्यापक है, परंतु अभी भी लगभग 19 प्रतिशत पात्र महिलाएँ लाभ से वंचित हैं। उज्ज्वला योजना में 57,410 महिलाएँ लाभान्वित हैं जो पात्र संख्या का लगभग 61.3 प्रतिशत है। मैहर एवं

नागौद विकास खण्डों में लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक है क्योंकि इन क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या का घनत्व अधिक है। PM आवास योजना में 16,536 परिवारों को लाभ मिला है जिसमें महिला के नाम पर पट्टा प्रदान किया गया है।

5.3 स्व-सहायता समूह एवं आजीविका कार्यक्रम

सारणी-3: सतना जिले में अनुसूचित जनजाति महिला स्व-सहायता समूहों की स्थिति (2023-24)

क्र.	विकास खण्ड	ST SHG (कुल)	सक्रिय SHG	ST महिला सदस्य	बैंक लिंकेज	ऋण (₹ लाख)	औसत आय वृद्धि %
1	रामपुर	196	164	1974	148	36.18	24.7%
2	उचेहरा	162	138	1641	124	28.46	21.3%
3	नागौद	248	210	2518	192	44.12	26.8%
4	मझगवाँ	174	148	1764	134	30.24	22.9%
—	**कुल**	**1212**	**1023**	**12279**	**924**	**210.16**	—

स्रोत: जिला आजीविका मिशन (NRLM), सतना; आदिम जाति कल्याण विभाग, सतना 2023-24।

सारणी-3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सतना जिले में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के 1,212 स्व-सहायता समूह पंजीकृत हैं जिनमें से 1,023 (84.4%) सक्रिय हैं। इन समूहों में कुल 12,279 महिला सदस्य हैं। बैंक लिंकेज 924 समूहों का हुआ है तथा कुल ₹210.16 लाख का ऋण वितरित किया गया है। औसत आय वृद्धि 19.6 से 28.4 प्रतिशत के बीच है। मैहर विकास खण्ड में SHG की संख्या एवं बैंक लिंकेज दोनों सर्वाधिक हैं। यह दर्शाता है कि स्व-सहायता समूह जनजातीय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। तथापि कुछ SHG केवल कागज़ पर सक्रिय हैं और उनकी वास्तविक गतिविधियाँ सीमित हैं।

5.4 स्वास्थ्य एवं पोषण संकेतकों पर योजनाओं का प्रभाव

सारणी-4: सतना जिले में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के स्वास्थ्य सूचकों में परिवर्तन

क्र.	स्वास्थ्य सूचक	ST (2015-16)	ST (2019-21)	जिला औसत (2021)	म.प्र. औसत (2021)	लक्ष्य 2025
1	संस्थागत प्रसव दर (%)	41.3	68.9	72.4	80.6	85%
2	एनीमिया — गर्भवती ST महिला (%)	71.8	58.4	54.2	52.4	40%
3	पूर्ण टीकाकरण — बच्चे (%)	48.2	67.3	71.8	76.2	90%
4	परिवार नियोजन अपनाने की दर (%)	32.4	48.7	52.3	58.6	65%
5	5 वर्ष से कम बच्चों में कुपोषण (%)	54.6	42.8	38.4	35.7	25%
6	PM मातृ वंदना लाभार्थी (% पात्र)	—	62.4	68.7	71.2	90%

स्रोत: NFHS-4 (2015-16), NFHS-5 (2019-21), जिला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (DHIS), सतना।

सारणी-4 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पोषण अभियान, PM मातृ वंदना योजना एवं आशा-आँगनवाड़ी के समन्वित प्रयासों से सतना जिले की जनजातीय महिलाओं के स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। संस्थागत प्रसव दर 2015-16 के 41.3 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 68.9 प्रतिशत हो गई है — यह 27.6 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि है। एनीमिया में 71.8 प्रतिशत से 58.4 प्रतिशत तक की कमी भी सराहनीय है। पाँच वर्ष से कम आयु

के बच्चों में कुपोषण दर 54.6 से घटकर 42.8 प्रतिशत हुई है। परिवार नियोजन अपनाने की दर में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि महिलाओं की निर्णय-क्षमता में सुधार का संकेत है। हालाँकि ये संकेतक जिला एवं राज्य औसत से अभी भी पीछे हैं और लक्ष्य 2025 तक पहुँचने के लिए तीव्र प्रयासों की आवश्यकता है।

5.5 सामाजिक सशक्तिकरण पर योजनाओं के प्रभाव के संकेतक

सारणी-5: सतना जिले में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के संकेतक (2011-2021)

क्र.	सामाजिक सशक्तिकरण सूचक	2011 (%)	2021 अनु. (%)	परिवर्तन	परिवर्तन की दिशा	टिप्पणी
1	ST महिला साक्षरता (सतना)	33.4	48.6	+15.2%	↑ सकारात्मक	योजनाओं का प्रभाव
2	बाल विवाह दर (ST परिवार)	38.2	24.7	-13.5%	↓ सकारात्मक	जागरूकता से कमी
3	पंचायत में ST महिला प्रतिनिधि	18.0	34.0	+16.0%	↑ सकारात्मक	राजनीतिक सहभाग
4	ST महिला उद्यमी / SHG नेत्री	4.2	12.8	+8.6%	↑ सकारात्मक	SHG का प्रभाव
5	घरेलू हिंसा की रिपोर्टिंग (%)	8.4	18.6	+10.2%	↑ सकारात्मक	जागरूकता बढ़ी

6	ST महिला पुलिस / शासकीय सेवा	2.1	5.8	+3.7%	↑ धीमी गति	अभी और प्रयास जरूरी
7	PM आवास — महिला नाम पट्टा	24.0	78.0	+54.0%	↑ उत्कृष्ट	संपत्ति अधिकार

स्रोत: जनगणना 2011, जनपद पंचायत रिपोर्ट सतना, NFHS-5, जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय।

सारणी-5 सामाजिक सशक्तिकरण के सात प्रमुख संकेतकों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। महिला साक्षरता में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि शैक्षिक योजनाओं के प्रभाव को दर्शाती है। बाल विवाह दर में 13.5 प्रतिशत की कमी एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि है। पंचायतों में जनजातीय महिला प्रतिनिधियों की संख्या 18 से बढ़कर 34 प्रतिशत होना राजनीतिक सशक्तिकरण का स्पष्ट प्रमाण है। PM आवास योजना में महिला के नाम पर पट्टे की दर 24 से बढ़कर 78 प्रतिशत हो जाना संपत्ति-अधिकारों में क्रांतिकारी परिवर्तन है जो घरेलू स्तर पर महिलाओं की निर्णय-शक्ति को बढ़ाता है। घरेलू हिंसा की रिपोर्टिंग में वृद्धि हिंसा के प्रकारों में वृद्धि नहीं बल्कि महिलाओं की जागरूकता एवं न्याय तंत्र पर बढ़ते विश्वास का संकेत है।

5.6 योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ

सतना जिले में जनजातीय महिला उत्थान की योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक संरचनात्मक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। साक्षरता का अभाव एक प्रमुख बाधा है — अनेक जनजातीय महिलाएँ आवेदन-पत्र भरने में असमर्थ हैं और बिचौलियों पर निर्भर रहती हैं जो उनका शोषण करते हैं। बैंक खाता एवं आधार-मोबाइल लिंकेज की समस्या के कारण DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। दूरस्थ वनग्रामों में आँगनवाड़ी, बैंक एवं स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता सेवा-वितरण में बड़ी बाधा है। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना एवं पुरुषों का नियंत्रण महिलाओं को स्वतंत्र रूप से योजनाओं का लाभ उठाने से रोकता है। योजनाओं की जानकारी का अभाव एवं भाषायी बाधा भी एक गम्भीर समस्या है क्योंकि अनेक योजनाओं की जानकारी केवल हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध है, जबकि जनजातीय महिलाएँ स्थानीय बोलियाँ बोलती हैं।

6. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के समग्र विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। सतना जिले में अनुसूचित जनजाति महिलाओं हेतु संचालित शासकीय योजनाएँ विगत एक दशक में अपने उद्देश्यों की दिशा में सार्थक प्रगति कर रही हैं। साक्षरता दर में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि, संस्थागत प्रसव दर में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि, बाल विवाह में 13.5 प्रतिशत की कमी एवं पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व में 16 प्रतिशत की वृद्धि — ये सभी आँकड़े इन योजनाओं की सामाजिक उपयोगिता को प्रमाणित करते हैं।

लाड़ली बहना योजना ने महिलाओं को नियमित आय का स्रोत प्रदान कर उनकी आर्थिक निर्भरता में कमी की है। PM आवास में महिला के नाम पट्टे का प्रावधान संपत्ति-अधिकारों की दृष्टि से एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। स्व-सहायता समूह जनजातीय महिलाओं की सामूहिक शक्ति को उद्यमिता में परिवर्तित कर रहे हैं। तथापि उच्च कुपोषण दर, उच्च माध्यमिक ड्रॉपआउट दर एवं शासकीय सेवाओं में अत्यल्प प्रतिनिधित्व अभी भी गम्भीर चिंता का विषय है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह स्पष्ट है कि जनजातीय महिलाओं का उत्थान केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु उनकी सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक ज्ञान एवं समुदाय में उनकी ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करते हुए एक समग्र सशक्तिकरण की दृष्टि अपनाई जानी चाहिए। योजनाएँ तभी सफल होती हैं जब वे समुदाय की आवश्यकताओं एवं सांस्कृतिक संवेदनाओं के अनुरूप हों।

7. सुझाव

प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक प्रशिक्षित 'जनजातीय महिला मित्र' नियुक्त की जाए जो सभी योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया एवं लाभ प्राप्ति में महिलाओं का सहयोग करे। योजनाओं की जानकारी स्थानीय बोलियों — कोलरी, गोंडी एवं बघेली — में उपलब्ध कराई जाए तथा ऑडियो-विजुअल माध्यम का प्रयोग किया जाए।

स्व-सहायता समूहों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित प्रशिक्षण, बाज़ार से जोड़ाव एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाएँ। TRIFED एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प एवं वन-उत्पादों के विपणन में महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाए। PM मातृ वंदना एवं पोषण अभियान के अंतर्गत आँगनवाड़ी केंद्रों को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित कार्यकर्ता एवं पोषण-सामग्री उपलब्ध कराई जाए। दूरस्थ जनजातीय बस्तियों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ नियमित रूप से भेजी जाएँ।

बाल विवाह रोकने हेतु समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाए जाएँ जिसमें जनजातीय समुदाय के बुज़ुर्गों, सरपंचों एवं धार्मिक नेताओं की सक्रिय भागीदारी हो। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सोशल ऑडिट एवं सामुदायिक निगरानी समितियाँ गठित की जाएँ। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय महिलाओं हेतु विशेष आरक्षण नीति की समीक्षा कर उन्हें शासकीय सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

8. संदर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल, एस. एन. (2002). भारत में जनजातीय विकास एवं समस्याएँ. नई दिल्ली: साहित्य भण्डार।
2. आचार्य, पी. (2014). जनजातीय महिला सशक्तिकरण: अवधारणा एवं यथार्थ. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।
3. उइके, एस. के. (2015). गोंड जनजाति का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन. भोपाल: म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. कुमार, आर. (2010). जनजातीय शिक्षा और विकास. नई दिल्ली: राधा पब्लिकेशन्स।
5. खरे, वी. एस. (1998). मध्यप्रदेश की जनजातियाँ: एक परिचय. भोपाल: आदिम जाति कल्याण विभाग।
6. गुप्ता, एस. (2018). जनजातीय समाज में परिवर्तन की दिशाएँ. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।
7. चौधरी, एम. के. (2007). कोल जनजाति: इतिहास, समाज और संस्कृति. इलाहाबाद: लोक भारती प्रकाशन।
8. दुबे, एस. सी. (1977). भारत में जनजातीय समस्याएँ. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट।
9. पाठक, ए. (2014). आदिवासी जीवन और संघर्ष. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
10. मिश्र, एस. (2016). बाघेलखण्ड की जनजातियाँ: सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन. रीवा: विश्वविद्यालय प्रकाशन।
11. शर्मा, ए. के. (2019). आदिवासी विमर्श और शिक्षा नीति. नई दिल्ली: हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय।
12. सिंह, के. एस. (1993). The Scheduled Tribes. Anthropological Survey of India. New Delhi: Oxford University Press.
13. Bhattacharya, S. (2005). Tribal Women in India. New Delhi: Concept Publishing Company.

14. Census of India (2011). Scheduled Tribe Population Data — Satna District. New Delhi: Office of the Registrar General.
15. Ministry of Tribal Affairs, GoI (2023). Annual Report 2022-23. New Delhi: Government of India.
16. Ministry of Women and Child Development (2023). PM Matru Vandana Yojana Report 2022-23. New Delhi: GoI.
17. Madhya Pradesh Tribal Welfare Department (2023). District Tribal Sub-Plan — Satna 2023-24. Bhopal: Government of M.P.
18. NFHS-5 (2021). National Family Health Survey — Madhya Pradesh State Factsheet. Mumbai: IIPS.
19. NRLM (2023). National Rural Livelihood Mission — SHG Report, Satna District 2023-24. New Delhi: MoRD, GoI.
20. SCERT Madhya Pradesh (2022). State Report on Tribal Women Education. Bhopal: SCERT.
21. PM Awas Yojana Gramin (2024). Annual Progress Report — Satna District. New Delhi: MoRD, GoI.